प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 943/2003

प्रेमलाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

26/09/2008 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 943/2003

अपीलार्थी प्रेमलाल पिता उदलराम वर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, कृषक, निवासी ग्राम उफारा, थाना बेरला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा : थाना बेरला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति:
श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थी के अधिवक्ता।
श्री प्रवीण दास, उप-शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय
(26.09.2008)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया।

(1) अपीलार्थी- प्रेमलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 354 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे क्रमशः 2 वर्ष और 3 माह के लिए सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह दंड सत्र विचारण क्रमांक 297/2001 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बेमेतरा द्वारा 27 मार्च, 2002 को सुनाई गई।

(2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता- प्रेमलाल और सीताराम (अब मृतक) घनिष्ठ मित्र थे और एक ही गाँव के निवासी थे। 28.6.2001 को रात लगभग 8.00 बजे, सीताराम गाँव में तालाब की ओर गया था। जब वह वापस अपने घर लौटा, तो अपीलार्थी प्रेमलाल भी उसके साथ आया। दोनों ने सीताराम के घर में शराब का सेवन किया। जब वे भोजन कर रहे थे, तो अपीलार्थी ने मृतक-सीताराम की पत्नी नीरा बाई (अभि.सा.-1) के हाथ उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से पकड़ लिए, जिस पर सीताराम क्रोधित हो गया। नीरा बाई भी क्रोधित हो गई और दुखितराम के घर चली गई। अपीलकर्ता भी दुखितराम के घर गया और नीरा बाई को बुलाया। नीरा बाई अपने घर लौट आई और फिर से भोजन परोसना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता ने फिर से नीरा बाई के हाथ पकड़ लिए। इस पर अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा शुरू हो गया और वे एक-दूसरे को गाली देने लगे और घर से गली में चले गए। चूंकि दोनों नशे की हालत में थे, नीरा बाई ने अपने ससुर महरूराम (अभि.सा.-2) को देखभाल करने के लिए कहा, जिस पर महरूराम गली में गए, झगड़े में हस्तक्षेप किया और जब वह अपने बेटे सीताराम को वापस ले जा रहे थे, तो अपीलार्थी ने सीताराम पर चाकू से वार किया, जिससे उसके हथेली और पेट पर चोटें आईं। उसे उसके घर लाया गया और रात में उसकी मृत्यु हो गई।मामले की सूचना हिंझाराम (अभि.सा.-8) द्वारा संबंधित पुलिस थाने में दी गई, जिस पर दिनांक 29.6.2001 को प्रातः 8.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी/8) दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) विवेचना अधिकारी दिनांक 29.6.2001 को घटनास्थल पर पहुँचे, शव की मृत्यु समीक्षा (प्र.पी/14) तैयार की और शव को शव परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरला भेजा, जहाँ डॉ. चतुर सिंह मांझी (अभि.सा.-9) द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्र.पी/10 तैयार की। उन्होंने मृतक के शरीर पर दो बाहरी चोटों के निशान देखे। दाहिनी हथेली के निचले भाग पर 2 इंच **x** 1/8 इंच **x** 1/8 इंच आकार का एक कटा हुआ घाव था और पेट के दाहिने भाग पर 1 इंच **x** 1/2 इंच **x** 3/4इंच आकार का एक गहरा वाला घाव था। आंतरिक परीक्षण में, उन्होंने पाया कि बड़ी आंत की झिल्ली पर 1 इंच **x** 1**½** इंच का खरोच था। चोट संख्या 1 साधारण थी, जबकि चोट संख्या 2 मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। शव-परीक्षण सर्जन ने बताया कि मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण हुआ सदमा था।

(4) आगे की विवेचना में, अपीलार्थी को हिरासत में लेकर, चाकू की खोज के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम (प्र.पी/2) दर्ज किया गया और अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी/3 के तहत चाकू जब्त किया गया। प्र.पी/4 के तहत घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की गई और प्र.पी/1 के तहत नक्शा तैयार की गई। जब्त की गई वस्तुओं को प्र.पी/15 के तहत रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से एक रिपोर्ट (प्र.पी/17) प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार रंजित मिट्टी में रक्त के धब्बे पाए गए, जबकि अपीलार्थी की निशानदेही पर जब्त सादी मिट्टी और चाकू पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए।

(5) सामान्य विवेचना पूरी होने के बाद, अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को उनदिया, जहाँ से इसे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बेमेतरा द्वारा स्थानांतरण पर प्राप्त किया गया, जिन्होंने सुनवाई की और अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषी दोषसिद्धि एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) अपीलार्थी की दोषसिद्धि मृतक के पिता, अभि.सा.-2, महरूराम के प्रत्यक्षदर्शी विवरण पर आधारित है, जिसे डॉ. चतुर सिंह मांझी (अभि.सा.-9) के चिकित्सीय साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया गया है।

(7) अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन ने न तो मृतक के मानववध और न ही प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता पर कोई आक्षेप किया है। धारा 354 भारतीय दंड संहिता के लिए, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी का कृत्य धारा 300 भारतीय दंड संहिता के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और धारा 302 (1) के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक की पत्नी की लज्जा भंग करने के प्रयास के कारण, अपीलार्थी और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ क्योंकि दोनों नशे की हालत में थे और आवेश में आकर, बिना किसी पूर्व-चिंतन के, अपीलार्थी ने मृतक के पेट पर चाकू से वार किया, जो घातक सिद्ध हुआ।

(8) दूसरी ओर, राज्य सरकार के विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(9) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(10) अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी और मृतक घनिष्ठ मित्र थे। उस घटना वाली रात को लगभग 8 बजे दोनों मृतक के घर आए। उन्होंने वहाँ शराब पी और जब मृतक की पत्नी भोजन परोस रही थी, तो अपीलार्थी ने मृतक की पत्नी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह क्रोधित होकर किसी पड़ोसी के घर चली गई। नीरा बाई (अभि.सा.-1) ने बयान दिया कि "वह दुखितराम के घर में बैठी थी, तभी अपीलार्थी वहाँ आया और उससे कहा कि उसका पति उसे बुला रहा है। इस पर वह दुखितराम के घर से बाहर आ गई और जब वह अपीलार्थी के साथ अपने घर लौट रही थी, तो अपीलार्थी ने उसके हाथ पकड़कर उसका लज्जा भंग करने की कोशिश की। उसने यह बात अपने पति को बताई, जिस पर उसके पति ने कहा कि अपीलार्थी उसका दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद, अपीलार्थी ने उसके पति के सामने भी ऐसा ही किया और अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हालाँकि कहानी अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी से कुछ अलग है, लेकिन निर्विवाद तथ्य यह है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब अपीलार्थी ने मृतक की पत्नी के हाथ उसके घर में उसके सामने पकड़े और अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा शुरू हो गया और वे मृतक के घर से गली में आ गए और यह सब देखकर नीरा बाई (अभि.सा.-1) ने ससुर महरूराम (अभि.सा.-2) को बताया तथा उनको देखने जाने के लिए कहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) महरूराम, अभि.सा.--2, ने बयान दिया कि "उस घटना वाली रात लगभग 9 बजे, जब उसे नीरा बाई (अभि.सा.-1) द्वारा सूचित किया गया, तो वह गली में गया और देखा कि अपीलार्थी और मृतक लड़ रहे थे। उसने हस्तक्षेप किया और उन्हें अलग किया और उसके बाद, जब वह मृतक को अपने घर ला रहा था, तो अपीलार्थी ने मृतक के पेट पर चाकू से वार किया। खून बहने लगा और मृतक को उसके घर लाया गया। उसने अपने दूसरे बेटे हिंझाराम (अभि.सा.--8) को बुलाया, लेकिन तब तक मृतक की मृत्यु हो चुकी थी।" इन सबके बाद, अगली सुबह हिंझाराम द्वारा संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यदि हम इन गवाहों के साक्ष्य की विवेचना करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की पत्नी की लज्जा

भंग करने की घटना पर, नशे की हालत में दो दोस्तों के बीच अचानक झगड़ा हुआ, जिसमें एक दोस्त (अपीलार्थी) ने मृतक पर चाकू से वार किया।

(12) धारा 300 का अपवाद 4 इस प्रकार है।

"अपवाद 4: आपराधिक मानववध हत्या नही है यदि यह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई है अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण- ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या हमला करता है।**"**

(13) **<u>सुरिंदर कुमार -बनाम- केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, एआईआर 1989 एससी, 1094</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अपवाद को लागू करने के लिए, चार आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए, अर्थात्, (क) यह एक अचानक झगड़ा था; (ख) कोई पूर्वचिंतन नहीं था; (ग) कार्य आवेश में किया गया था; और (घ) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया था। झगड़े का कारण सुसंगत नहीं है और न ही यह सुसंगत है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान लगे घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई होगी और अपराधी ने क्रोध में आकर यह काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूरता से काम नहीं किया होगा। जहाँ, अचानक झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति आवेश में आकर कोई हथियार उठा लेता है जो हाथ में है, और चोट पहुँचाता है, जिसमें से एक घातक साबित होती है, तो वह इस अपवाद का लाभ पाने का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम न किया हो।'

(14) **<u>करम सिंह -बनाम- सम्राट, एआईआर 1926 एलएएच 219</u>** के मामले में, यह माना गया कि अपवाद उन मामलों पर लागू होता है जहाँ झगड़ा किसी भी तरह से शुरू हुआ हो दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस मामले में अपवाद 4 की सभी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। बेशक, अपीलार्थी द्वारा मृतक की पत्नी की लज्जा भंग करने के कारण दोनों दोस्तों के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया और 'अपीलार्थी का कृत्य पूर्वनियोजित नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला स्वयं यह है कि दोनों दोस्तों ने मृतक के घर में शराब पी और फिर वे खाना खा रहे थे जो मृतक की पत्नी द्वारा परोसा जा रहा था। यह कृत्य आवेश में आकर किया गया था। यदि अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु कारित करने की पूर्व-योजना बनाई होती, तो वह झगड़े के दौरान पहले अवसर पर या बाद में किसी भी अवसर पर चाकू का प्रयोग कर सकता था, क्योंकि चाकू उसके पास ही था। परन्तु, उसने ऐसा नहीं किया और झगड़े में उचित समय व्यतीत करने के बाद, उसने चाकू निकाला और मृतक पर चाकू से वार किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वार बिना किसी पूर्व-चिंतन के आवेश में आकर किया गया था। अपीलार्थी के आचरण से यह भी पता चलता है कि उसने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्वक कार्य नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) राज्य के विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि झगड़े का मूल कारण अपीलार्थी का वह कृत्य था जिसने मृतक की पत्नी की शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया था, इसलिए अपीलार्थी के परिणामी कृत्य का स्वरूप बदल जाएगा। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में माना है, अपवाद 4 के प्रावधानों को लागू करते समय, झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और यह भी प्रासंगिक नहीं है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। इसलिए, मृतक के हमले से संबंधित अपीलार्थी द्वारा किया गया वास्तविक कृत्य मृतक की पत्नी के लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करने के अपीलार्थी के पूर्व कृत्य से अधिक गंभीर नहीं होगा। इसलिए, ऐसा पूर्व कृत्य धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए विचारणीय बिंदु नहीं होगा क्योंकि झगड़ा शुरू होने के बाद, दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर रखता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(17) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं था और अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ पाने का हकदार था और हम अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अंतर्गत दोषी ठहराना उचित समझते हैं।

(18) परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दोषसिद्धि और दण्डादेश को बरकरार रखते हुए, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त करते हैं और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते है, साथ ही यह भी निर्देश देते हैं कि दोनों दण्डादेश साथ-साथ चलेंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी 29.6.2001 से आज तक जेल में है। वह पहले से बिताई गई अवधि को समायोजित किये जाने का हकदार होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore